न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 429/2024

अनवान : –

1. सरिता पुत्री भंवरलाल जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर हाल निवास चक 26 ए 27 ए श्रीगंगानगर तहसील जिला श्रीगंगानगर।

– **वादीया**

बनाम्

1. शकुन्तला पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
2. स्रोज पत्नी प्रभुराम जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
5. एसबीआई बैक शाखा नोहर नजदीक जाजू होस्पीटल नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 18/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता संख्या 73/74 के खसरा न0 86/3 की 2.3480 हैक्ट भूमि भादरराम पुत्र तारूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। भादरराम पुत्र तारूराम ने उक्त वाद भूमि में से खसरा न0 86/3 की 2.3480 हैक्ट भूमि में से 0.379 हैक्ट भूमि वादिया सरिता पुत्री भंवरलाल जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर को जरिये बैयनामा 15.07.2009 को बैय कर दी थी तथा वादीया ने मुताबिक बैयनामा खसरा न0 86/3 की 2.3480 हैक्ट भूमि में से 0.379 हैक्ट भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। वादी खरीदशुदा भूमि की खातेदार काश्तकार है तथा वादीया मुताबिक बैयनामा खरीद शुदा भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

विक्रेता भादरराम ने बेईमान पूर्व अपनी बैय की गई 0.379 हैक्ट भूमि को शामिल करते हुए समस्त भूमि अपनी पुत्रवधुओ प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज करवा दी। वर्तमान में रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता स0 73/74 की कुल 2.3480 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जबकि उक्त वाद भूमि में से 0.379 हैक्ट भूमि जो की वादीया की खरीद शुदा है प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के नाम गलत तौर से दर्ज हुई है। अतः वादीया अपने खातेदारी अधिकार की घोषणा करवाकर जमाबंदी दुरूस्त करवा अपनी खरीदशुदा 0.379 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण ... का नाम कलमजन करवा पाने की अधिकारी है। यही बिनाया दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:19:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि जो की जरिये बैयनामा खरीद की है उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे जरिये बैयनामा खरीद की है मुताबिक बैयानाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी बहक प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2, जमाबंदी रोही मौजा भोगराना खाता स0 73/74 बहक भादरराम, चित्रप्रति रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 15.07.2009 आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने कथन किया कि रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता संख्या 73/74 के खसरा न0 86/3 की 2.3480 हैक्ट भूमि भादरराम पुत्र तारूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। भादरराम पुत्र तारूराम ने उक्त वाद भूमि में से खसरा न0 86/3 की 2.3480 हैक्ट भूमि में से 0.379 हैक्ट भूमि वादिया सरिता पुत्री भंवरलाल जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर को जरिये बैयनामा 15.07.2009 को बैय कर दी थी तथा वादीया ने मुताबिक बैयनामा खसरा न0 86/3 की 2.3480 हैक्ट भूमि में से 0.379 हैक्ट भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। वादी खरीदशुदा भूमि की खातेदार काश्तकार है तथा वादीया मुताबिक बैयनामा खरीद शुदा भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की कानूनी अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीया का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेद[illegible] दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीया के साक्ष्य सबूतों [illegible] सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:19:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता स0 73/74 की कुल 2.3480 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादीया का कथन है कि रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता संख्या 73/74 के खसरा न0 86/3 की 2.3480 हैक्ट भूमि भादरराम पुत्र तारूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। भादरराम पुत्र तारूराम ने उक्त वाद भूमि में से खसरा न0 86/3 की 2.3480 हैक्ट भूमि में से 0.379 हैक्ट भूमि वादिया सरिता पुत्री भंवरलाल जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर को जरिये बैयनामा 15.07.2009 को बैय कर दी थी तथा वादीया ने मुताबिक बैयनामा खसरा न0 86/3 की 2.3480 हैक्ट भूमि में से 0.379 हैक्ट भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। वादी खरीदशुदा भूमि की खातेदार काश्तकार है तथा वादीया मुताबिक बैयनामा खरीद शुदा भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की कानूनी अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नही है। वादीया द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बैयनामा के मुताबिक वादीया ने उक्त वाद भूमि में से 0.379 हैक्ट भूमि क्रय की है जो की प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता स0 73/74 के ख0न0 86/3 की 2.3480 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज है उक्त भूमि में से 0.379 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज भूमि में से बहिब कम की जाकर 0.379 हैक्ट भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:19:54 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 429 / 2024

अनवान : –

1. सरिता पुत्री भंवरलाल जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर हाल निवास चक 26 ए 27 ए श्रीगंगानगर तहसील जिला श्रीगंगानगर।

– वादीया

बनाम्

1. शकुन्तला पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
2. स्रोज पत्नी प्रभुराम जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
5. एसबीआई बैक शाखा नोहर नजदीक जाजू होस्पीटल नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 429 सन 2024 निर्णय दिनांक – 18/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता स0 73 / 74 के ख0न0 86 / 3 की 2. 3480 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज है उक्त भूमि में से 0.379 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज भूमि में से बहिब कम की जाकर 0.379 हैक्ट भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/6/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:19:54 IST
Reason: SelfAttested